

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

सुआमोटो रास्ता

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 21/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/814 दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम ज्ञानगढ पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा की आराजी नम्बर 1647 रकबा 28.16 बीघा किस्म चरागाह में से 1.00 बीघा में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो ग्राम ज्ञानगढ के मजरा बोर का बाड़िया से मजरा डूंगरनगर हल्का आबादी को मिलाती है उक्त ग्रेवल सड़क सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने के उपयोग में आ रही है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त ग्रेवल सड़क का अंकन नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2069 से 2072 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त ग्रेवल सड़क चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित पत्रादि प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.10.2020 को पेश हो।</p>	
19.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिंशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ज्ञानगढ पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा की आ0नं0 1647 रकबा 28.16 बीघा किस्म चारागाह में से 1.00 बीघा में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो ग्राम ज्ञानगढ के मजरा बोर का बाड़िया से मजरा डूंगरनगर हल्का आबादी को मिलाती है उक्त ग्रेवल सड़क सार्वजनिक आवागमन एवं ग्रामवासियों के आने-जाने के उपयोग में आ रही है। ग्रेवल सड़क के रकबा 1.00 बीघा को चारागाह के कुल रकबे में रखते हुए मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में डोट-डोट के रूप में करे एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

